

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY,
PART II, SECTION 3 (ii) DATED 4TH MARCH 1983.

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
...

New Delhi, the 4th March, 1983.

NOTIFICATION

S.O. 160(E) .- In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Lt. Governor of Delhi shall, subject to the control of the President and until further orders, exercise the powers of the Central Government under Section 3 of the Essential Services Maintenance Act, 1981, (40 of 1981) in relation to any service in or in connection with the working of the Delhi Transport Corporation, Delhi.

(NO.U-11030/1/83-UTL)

(H.V. GOSWAMI)
JOINT SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA.

TO

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Industrial Area,
Ring Road,
New Delhi.

क्रमांक २५४, असाधारण भाग-।।, खण्ड ३४०८,

तारीख ४ मार्च, १९८३ में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-।।०००।, तारीख ४ मार्च, १९८३

अधिकारी

का०आ० १६०(इ). संविधान के अनुच्छेद २३७ के खण्ड ४।४ के अनुसारण में, राष्ट्रपति एतद्वारा यह निर्देश देते हैं कि दिल्ली का उप-राज्यपाल, राष्ट्रपति के नियका के अधीन रहते हुए तथा अगले आदेशों तक, दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली, की किसी सेवा के संबंध में, या दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली, के कार्यकरण से संबंधित किसी सेवा के संबंध में अनिवार्य सेवाएँ अनुरक्षण अधिनियम, १९८। ४।९८। का ४०४ की धारा ३ के तहत केन्द्रीय सरकार की शाकितयों का प्रयोग करेगा।

४३० यू-।०३०।।८३-य०टी०८८०४

४८८ वदन गोस्वामी

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

पूर्वान्धक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी-ओघोगिक क्षेत्र,

पर्सिंग रोड, नई दिल्ली।